बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

ज्ञापांकः– पी0एच0/बि0ज0स्व0मि0–103/2006 – पटना, दिनांकः–

अनौपचारिक रूप से प्रदर्शित

सेवा में,
महालेखाकार
बिहार, पटना।

द्वारा:– X वित्त विभाग बिहार, पटना।

विषयः– लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिश अधीन प्रशिक्षण सह शोध केन्द्र की स्थापना हेतु राज्य योजना के तहत भवन निर्माण हेतु 35 लाख (तीन करोड़ चौवन लाख साठ हजार रूपये मात्र) एवं इसके संचालन पर अनुमानित व व्यय 100.00 लाख (एक करोड़ रूपये मात्र) की राशि पर प्रस्तुत योजना की स्वीकृति एवं व वित्तीय वर्ष में इसके कार्यान्वयन पर 100.00 लाख (एक करोड़ रूपये मात्र) की राशि व्यय करन स्वीकृति।

आदेशः– लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति एवं स्व संबंधी कार्य किये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु विभाग के लिए प्रशिक्षण शोध केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता है। अतः लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के नियंत्रण बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अधीन प्रशिक्षण सह शोध केन्द्र की स्थापना हेतु योजना के तहत भवन निर्माण हेतु 354.60 लाख (तीन करोड़ चौवन लाख साठ हजार रूपये एवं इसके संचालन पर अनुमानित वार्षिक व्यय 100.00 लाख (एक करोड़ रूपये मात्र) की राशि प्रस्तुत योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। वर्तमान वित्तीय 2007–08 में इसके कार्यान्वयन पर 100.00 लाख (एक करोड़ रूपये मात्र) की राशि व्यय जाना है। योजना का स्थूल प्राक्कलन परिशिष्ट–I पर संलग्न है। भवन निर्माण का कार्य दो वि वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है।

2. **इस प्रशिक्षण सह शोध केन्द्र के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं:–**

2.1 योजनाओं में तकनीकी पक्ष के साथ–साथ सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं को शामिल करते हुए योजना का सूत्रण एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने हेतु क्ष सम्बर्द्धन किया जाना।

2.2 जलापूर्ति एवं स्वच्छता के क्षेत्र में कार्यरत तकनीकी पदाधिकारियों के सतत् प्रशि एवं हुनर विकास हेतु कार्यक्रम चलाना।

2.3 राज्य की विशिष्ट जरूरतों को देखते हुए अनुसंधान एवं शोध की एक ठोस व्यव हेतु समय–समय पर नई तकनीक की परीक्षा और उनकी उपादेयता तथा गुणवत्ता की जाँच लिए उपयुक्त संस्थान के रूप में कार्य करना।

2.4 पेयजलापूर्ति तथा स्वच्छता के क्षेत्र में आगामी वर्षों में समस्या और चुनौतिपूर्ण जटिल होती जाएगी। इन समस्याओं से निपटने हेतु उन्मुखीकरण, प्रशिक्षण, शोध एवं कनसल सेवा के लिए राज्य के पास अपना एक ठोस संस्थागत ढाँचा का विकास।

2.5 विभाग द्वारा समुदाय आधारित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम एवं पेयजलापूर्ति का चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पेयजल गुणवत्ता से संबंधित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुण अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। इन सभी कार्यक्रमों में साझेदार हैं, यथा– पंचायती राज संस्थानें, स्वास्थ्य विभाग, गैर सरकारी संस्थाएँ, स्वास्थ्य कार्य

सामाजिक कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह, महिला समूह, स्वयं लाभार्थी आदि के लिए क्षमता संबर्द्धन कार्यक्रम को चलाना।

3. इस प्रशिक्षण केन्द्र के तहत किये जाने वाले मुख्य कार्यः–

3.1 प्रशिक्षण के द्वारा मानव संसाधन विकासः– पंचायती राज प्रतिनिधियों/ विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों / गैर सरकारी संस्थाओं/ समुदायों/ अन्य साझेदारों का पेयजल एवं स्वच्छता संरचनाओं की परिकल्पना, निरूपण, क्रियान्वयन तथा मरम्मति–संपोषण के क्षेत्र में प्रशिक्षण के द्वारा क्षमता संवर्द्धन करना।

3.2 प्रोजेक्ट कोषांगः इस कोषांग के द्वारा महत्वाकांक्षी योजनाओं का सूत्रण एवं निरूपण किया जाना।

3.3 कनसल्टेंसी सर्विसेजः– पेयजल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञों की टीम के द्वारा कनसल्टेंसी सर्विसेज दी जाएगी। इसके लिए निर्धारित कनसल्टेंसी शुल्क भी लिया जाएगा।

3.4 शोध एवं विकास (R&D) – पेयजल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में R&D संबंधित कार्य किये जाएंगे, जिसमे भौगोलिक आधार पर पेयजल गुणवत्ता का आकलन एवं निदान हेतु तकनीकी शोध कार्य सम्मिलित होंगे।

3.5 सोशल सेक्टर से संबंधित कार्यः– आई0ई0सी0 रणनीति, प्रचार–प्रसार हेतु सामग्री एवं प्रशिक्षण मोड्यूल को विकसित करना।

4. संस्थान के लिए भवन का स्वरूप

संस्थान हेतु भवन के निर्माण के लिए विभाग के पास पटना औद्योगिकी क्षेत्र में जमीन उपलब्ध है। संस्थान के लिए प्रस्तावित भवन का स्वरूप निम्नवत् हैः–

(i) एक वातानुकूलित ऑडिटोरियम	:	(200 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता का)
(ii) दो वातानुकूलित प्रशिक्षण हॉल	:	(60 प्रतिभागियों के प्रशिक्षण के लिए)
(iii) आवासीय सुविधा	:	(क) 5 वातानुकूलित डबल बेड कमरे (फैकल्टी/ रिसोर्स पर्सन के लिए) (ख) 20 वातानुकूलित डबल बेड कमरे (प्रतिभागियों के लिए) (ग) किचन एवं डायनिंग हॉल, कैफेटेरिया।
(iv) डोरमिटरी (वातानुकूलित)	:	6 (प्रत्येक में 10 प्रतिभागियों के ठहरने के लिए)

(v) पुस्तकालय, वाचनालय कक्ष।
(vi) डाटा–सेन्टर, एवं कम्प्यूटर सेल।
(vii) अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये यथा आवश्यक कार्यालय कक्ष।

5. प्रशिक्षण–सह–शोध केन्द्र हेतु पदाधिकरियों/कर्मचारियों की संरचनाः

प्रशिक्षण सह शोध केन्द्र के संचालन हेतु कोई नये पद का सृजन नहीं किया जाएगा । विभाग में उपलब्ध कर्मचारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्य करने हेतु रखे जाएगें। केन्द्र के कार्यो के संचालन हेतु विशेषज्ञों की सेवा एवं आवश्यकतानुसार अन्य कर्मियों को संविदा के आधार पर रखा जाएगा, जिसपर लगभग 100.00 लाख (एक करोड़ रूपये मात्र) वार्षिक व्यय अनुमानित है। प्रारम्भ में वार्षिक अनुदान के रूप में इस हेतु राज्य योजना मद से एक मुश्त राशि बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को दिया जाएगा। कालान्तर में इस संस्थान को शनैः शनैः स्वपोषित बनाये जाने का प्रस्ताव है। इस संस्थान का संचालन बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता

मिशन द्वारा किया जायेगा। इस संस्थान के लिए पदाधिकारियों/कर्मचारियों की संरचना निम्नांकित है:–

(1) निदेशक : 1 (मुख्य अभियंता स्तर के)
(2) संयुक्त निदेशक : 2 (अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता स्तर के स्नातक/स्नातकोत्तर को प्राथमिकता) एक प्रशासन एवं प्रशिक्षण, एक शोध कार्य के लिए
(3) उप–निदेशक : 4 (स्नातक/स्नातकोत्तर कार्यपालक अभियंता/ सहायक अभियंता)
(4) क्षेत्र पदाधिकारी : 4 (कनीय अभियंता स्तर के)
(उपरोक्त पदाधिकारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर रखे जाएँगे)

(5) कनसल्टेंट : 4
(संविदा के आधार पर)

(क) प्रोजेक्ट मैनेजमेंट (तकनीकी)	:– Rs. 40000/- तक प्रति माह पर
(ख) एच0आर0डी0 कनसल्टेंट	:– Rs. 25,000/- " "
(ग) सोशल मोबिलाइजेशन	:– Rs. 25,000/- " "
(घ) पेयजल गुणवत्ता	:– Rs. 25,000/- " "

(6) प्रोजेक्ट यूनिट : 4 कनसल्टेंट
(संविदा के आधार पर/ प्रतिनियुक्ति पर)

(क) स्ट्रक्चर अभियंता (स्नातकोत्तर) (योग्यता के आधार पर)	:–Rs. 50,000/- तक प्रति माह पर
(ख) पेयजलापूर्ति एवं सैनिटेशन अभियंता (स्नातकोत्तर)	:–Rs. 40,000/- " "
(ग) आर्किटेक्ट/ टाउन प्लानर	:–Rs. 30,000/- " "
(घ) सॉफ्टवेयर अभियंता	:–Rs. 40,000/- " "

(7) सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर :	2	:–Rs. 15,000/- " "
(8) डाटा एन्ट्री ऑपरेटर : (संविदा के आधार पर)	2	:–Rs.10000 तक प्रति माह पर
(9) लेखा–सह–पत्राचार सहायक : (संविदा के आधार पर)	2	:–Rs. 15,000/- " "
(10) स्टेनोग्राफर :	7	:–Rs. 15,000/- " "
(11) रिसेपशनिस्ट : (संविदा के आधार पर)	1	:–Rs. 15,000/- " "
(12) पिउन : (संविदा के आधार पर)	3	:–Rs. 8,000/- तक प्रति माह पर

संविदा पर रखे जाने वाले उपर्युक्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक मुश्त प्रतिमाह दी जानेवाली अंकित राशि अधिकतम है। कर्मियों की योग्यता एवं अनुभव के आलोक में परियोजना में उनकी उपयोगिता को देखते हुए बेलट्रान आदि स्रोतों से प्राप्त कर्मियों को ध्यान में रखते हुए प्रतिमाह देय राशि का निर्धारण किया जाएगा।

6. <u>संस्थान के द्वारा किये जाने वाले कार्यों के लिए शुल्क सम्बन्धित प्रणाली:–</u>

संस्थान द्वारा किये जानेवाले कार्यों के लिए शुल्क का निर्धारण बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा समय–समय पर किया जाएगा।

7. इस योजना पर होनेवाला व्यय योजना बजट शीर्ष– 4215 –जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय– 01– जल पूर्ति – राज्य योजना – 102 – ग्रामीण जल पूर्ति, माँग संख्या–36 – 0119– निदेशन, प्रशासन एवं स्थापना– विपत्र कोड– P 4215011020119 – 80 14 –सामान्य – 80 15 –विशेष अंगीभूत मतदेय शीर्ष में भारितव्य होगा।

8. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना(पूर्व) होंगे। राशि की निकासी पटना कोषागार से की जायेगी। योजना पर होनेवाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा।

9. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

10. योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया एवं शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित वित्त विभाग के संकल्प संख्या–एम4–45/94–पार्ट–II– 3828 वि0 (2), दिनांक 12.06.06 के आलोक में दिनांक–19–06–2007 को हुई योजना प्राधिकृत समिति की बैठक एवं दिनांक–11–09–2007 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस योजना की स्वीकृति दी गयी है।

11. 2007–08 की वार्षिक योजना उद्व्यय एवं याजना बजट में इसके लिए प्रावधान है।

12. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनु0 यथोपरि।

ह0/–
(शशि शेखर शर्मा)
सचिव

ज्ञापांक– पी0एच0/बि0ज0स्व0मि0–103/2006 – 462. पटना, दिनांक– 24.10.2007

प्रतिलिपि:–

1. अनु0 सहित सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना (तीन अतिरिक्त प्रतियों के साथ)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/ कल्याण विभाग/ मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी,पटना / कोषागार पदाधिकारी,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. अनु0 सहित सचिव/अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव/ मुख्य अभियंता (नागरिक)/ यॉंत्रिक/ विशेष पदाधिकारी/निदेशक(सी0सी0डी0यू0)/ कार्यपालक अभियंता (मो0)/ (मो0/मू0)/ उपनिदेशक, अन्वेषण/ मूल्यांकन/ परियोजना पदाधिकारी/ सहायक बजट पदाधिकारी/ प्रशाखा–4, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. अनु0 सहित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना / अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पटना / कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना(पूर्व) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0– यथोपरि।

15/10
(शशि शेखर शर्मा)
सचिव

ANNEXURE-I

Rough Cost Estimate of the Proposed Training-cum R&D Centre at Patliputra Industrial Area, Patna for Bihar State Water & Sanitation Mission, Bihar Patna.

ABSTRACT OF COST

Sl.No.	Particulars	Area in sq.m	Rate/sq. m.in Rs.	Amount in lakhs	Remarks
1	Boundary wall and development of campus		L.S.	25.00	
2	Ground Floor portion of civil structures				
	(a) Auditorium (79' x 55')	270	9500	25.65	
	(b) Training Hall (2 Nos.)	150	9500	14.25	
	(c) Dining, Kitchen cum Store room (31' X 46')	218	9500	20.71	
	(d) Library, Reception and display room (49' x 46') + porch (200 sq.ft.)	228	9500	21.66	
	(e) Data centre & computer cell	50	9500	4.75	
	(f) Guest house for Resource persons (36' x 54') with some better interiors, etc.	215	10500	22.58	
3	First Floor portion of Civil Structures				
	(a) 20 Rooms (Double bed) for Participants/ Trainees.	315	9500	29.92	
	(b) Officers & Staff Chambers	200	9500	19.00	
	(c) Dormitories for participants (60 Nos.)	535	9000	48.15	
4	Water Supply, Sanitation (15%) And Electrification (10%) @ 25% of items 1 to 3.	-	-	57.92	
5	Infrastructural development of the Centre and logistics	-	L.S.	65.00	
			Total	354.59	

Say Rs. 354.60

Say Rs. Three Hundred fifty four lakh sixty thousand only.

(Akhileshwar Tiwari)
Chief Engineer (Urban)
PHED, Patna

Training Centre Estimate